3

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मोहनसिंह व अन्य बनाम सरकार जरिये भारसाधक पदाधिकारी बनाड़ व अन्य दाण्डिक विविध प्रकरण सं0 **62/18 अन्तर्गत धारा 411 द.प्र.सं.**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5.02.19

आज पत्रावली आदेश लिखने हेतु पेश हुई।

1— प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोंलकी उपस्थित।

2—अप्रार्थीपक्ष—2, 3 के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी उपस्थित।

प्रार्थीगण मोहनसिंह पुत्र शिवसिंह राजपूत निवासी म. नं. 6 7 सैनिकपुरी ख.नं. 78, 79 ग्राम डिगाड़ी तहसील जोधपुर व अन्य द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 411, दण्ड प्रकिया संहिता बाबत् उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दण्डिक प्रकरण संख्या 19/2016 सरकार बनाम पार्टी नं.—1 सुखदीप कौर व पार्टी नं.—2 मोहनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 145, 146 द0प्र0सं0 को सुनवाई के लिए अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरित करने का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई।

अप्रार्थीपक्ष—2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशकुमार जोशी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 11.02.19 को जबाब पेश हुआ तथा दिनांक 14.02.2019 को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष भारसाधक पदाधिकारी, थाना बनाड़ की ओर से एक प्रकरण द0 प्र0 सं0 की धारा 145 एवं 146 के तहत अप्रार्थी पार्टी नं.—1 सुखदीप कौर व अन्य तथा पार्टी नं.—2 मोहनसिंह व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया जो लम्बित है। दिनांक 30.10.18 को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष सुनवाई हेतु रखी गई जिस पर समस्त पत्रावलियों की पेशियां दिनांक 19.12.18 को रखी जाने के आदेश दिये गये, परन्तु पीठासीन अधिकारी सुमित्रा पारीक जो अप्रार्थी पार्टी नं.—एक के सुखविन्दर ढिल्लो

लगातार...

5.02.19

के दबाव व प्रभाव में आकर नजदीक पेंशिया देते है तथा श्री ढिल्लो अक्सर पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठे रहते है। अपनी बहस में आगे बतलाया कि सुमित्रा पारीक पीठासीन अधिकारी पूर्व में बाप उप जिलामजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी रही है वहां पर भी उनके कार्यकाल में कई सौर उर्जा कम्पनियों के मालिकों एवं वहां के किसानों के जमीन के फैसले भी करने में घोटाले किये है अतः अप्रार्थी पार्टी–1 से मिली भगति होने की आशंका होने से उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्यायोचित, न्यायसंगत व विधि सम्मतः न्याय मिलने की कतई संभावना नहीं है, अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई के लिए अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी सं0 2, 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि उसके खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 78 ग्राम डिगाड़ी में आई हुई है, जिसके पास अप्रार्थी–2 का रहवासीय मकान बना हुआ है। उक्त जमीन को हड़पने के लिए प्रार्थीपक्ष की ओर से फर्जी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रीयां करवा दी जिस पर इन लोगों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं चालान भी हुए तथा जेल में भी रहे। एफ.एस.एल. रिर्पोट में हस्तान्तरण के दस्तावेज भी फर्जी सिद्ध हुए है तथा यह लोग भू–माफिया व बदमाश प्रवृति के है तथा न्यायाल में दबाव बनाकर अपने हक में निर्णय करवाना चाहते है तथा अनुचित दबाव बनाकर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं होने देना चाहते है। बहस में आगे कहा कि दिनांक 30.10.18 को जब न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी–2 व 3 का पक्ष सुनने के पश्चात् प्रार्थीगण पक्ष को अपना पक्ष रखने एवं बहस करने हेतु कहा गया तो इन्होनें एलानियां कहा कि किसी सूरत में निर्णय होने नहीं देंगे इस कारण इस न्यायालय के समक्ष झूठे आरोप लगाकर प्रकरण का अनावश्यक लम्बित करने के लिए स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया, अन्त मे प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की। बहस के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 4527/2009 पूनाराम बनाम मोतीराम के कायममुकाम में पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.01.2019 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

लगातार...

19

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी से आज दिनांक 15.02.19 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हो हुई जिसमें सभी आरोपो को बेबुनियाद व झूठे व मनगढंत बताये गये। प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना–पत्र में बिन्दु 2 व 3 वर्णित तथ्यों में जो आरोप पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये उनके बाबत् कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं किये गये, परन्तु किसी पीठासीन अधिकारी के प्रति अविश्वास व्यक्त होने पर किसी प्रकरण को आगे की सुनवाई उसी अधिकारी के पास रहने से पक्षकार को न्याय नहीं मिलने की हमेशा संभावना बनी रहती है अतः न्यायहित में उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष विचाराधीन द0प्र0सं0 प्रकरण सं0 19/2016 सरकार बनाम अप्रार्थी पार्टी नं0–1 सुखदीपकौर वगैरा एवं पार्टी नं0–2 मोहनसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 145, 146, द.प्र.सं. की सुनवाई के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर न्यायालय से अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर(प्रथम) जोधपुर न्यायालय को मुंतकिल करने का आदेश दिया जाता है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर (प्रथम) जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिक प्रकिया के तीन माह में निस्तारण करें। उभयपक्ष पक्षकारान अग्रिम सुनवाई के लिए अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर (प्रथम) जोधपुर न्यायालय में दिनांक 26.02.2019 को उपस्थित रहे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर एवं अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर (प्रथम) जोधपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।